फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री गोरधन सिंह | विपक्षी :– तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 43/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.07.2023	

पत्रावली तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण मे प्रार्थी के कथनानुसार मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड की जमाबंदी संवत् 2069–72 की आराजी नंबर 803/296, 877/296 किता 2 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा प्रार्थी गोरधन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत के नाम दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त के बाद प्रार्थी की आराजी में रकबा कम कर दिया गया जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा नवीन बंदोबस्त के बाद रकबा कम होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी की साबिक आराजी नंबर 803/296, 877/296 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी गोरधन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। नवीन बंदोबरत के बाद उक्त साबिक आराजी नंबर के नये आराजी नंबर 701, 700, 1528/700, 1529/701 बने। आराजी नबर 1528/700 रकबा 1 हैक्टेयर, 1529/701 रकबा 0.47 हैक्टेयर वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपार्ट में साबिक नक्शे में उक्त आराजी नंबर की तरमीम नहीं होना बताया तथा प्रार्थी के कब्जे के आधार पर प्रार्थी के रकबे की कमी की पूर्ति के लिए आराजी नंबर 1528/700 रकबा 1 हैक्टेयर में से रकबा 0.8952 हैक्टेयर व आराजी नंबर 1529/701 रकबा 0.47 हैक्टेयर में से 0.4448 हैक्टेयर किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की। प्रकरण में नवीन बंदोबस्त बाद भू–प्रबंधं विभाग द्वारा की गई त्रुटि को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड की आराजी नम्बर 1528/700 रकबा 1 हैक्टेयर में से 0.8952 हैक्टेयर व आराजी नंबर 1529/701 रकबा 0.47 हैक्टेयर में से 0.4448 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार के [illegible] प्रार्थी गोरधन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत के नाम दर्ज किये जाने के आ[illegible]ते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा [illegible] होकर नम्बर से कम हो[illegible]

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.24 15:50:23 IST
Reason: SelfAttested

(मोनिका जाखड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) भीण्डर